क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन / फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 930/ NGT-49/2021-22 दिनांक : 25/03/22

Through e-mail

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub: O.A. No. 347/2021; Resident Welfare Association Ebony Estate Vs. Greater Noida Industrial Development Authority & Ors.

Sir,

In the abovenoted matter the Hon'ble Tribunal passed an order dated 21.03.2022. The office of undersigned pursuant to the same prepared a report which is annexed herewith for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

With regards,

Sincerely

Annexure- as above

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer

E:\RO Bhuvan Sir\Letter Pad New 2021.docx

दिनांक 17.02.2022 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर रिट याचिका संख्या–347/2022 रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एबोनी स्टेट बनाम ग्रेटर नौएडा एवं अन्य में पारित आदेशों के कम में स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गौतमबुद्ध नगर।
2. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण), ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नौएडा।

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर रिट याचिका संख्या–347/2022 रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एबोनी स्टेट बनाम ग्रेटर नौएडा एवं अन्य में निम्न आदेश दिनांक 04.01.2022 को पारित किये गये है। "Grievance in this application is against illegal construction in green belt at Ebony Estate, PHI 04, Greater Noida, Uttar Pradesh. The applicant has also annexed a copy of the complaint dated 22.07.2021 addressed to the Chief Executive Officer, Greater Noida on the subject."

In view of above, the grievance needs to be looked into by a joint Committee of Greater Noida, State PCB and Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination. The jont Committee may hold <u>this</u> meeting. The application is disposed of,"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के कम में आख्या निम्नवत हैः–

1. स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन भवन अवैध भूमि पर नही है क्योंकि उक्त भूमि का मानचित्र ग्राम आबादी ग्राम कासना के खसरा नं0 1408, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423 एवं 1426 पर है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के कम में अवगत कराना है कि उक्त निर्माण प्राधिकरण द्वारा अर्जन से मुक्त भूमि पर भूस्वामियों द्वारा किया गया है।
3. नियोजन विभाग के पत्रांक–नियोजन/2022/बीएन–653/428 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार ग्राम कासना के खसरा संख्या–1408, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421,एवं 1426 का भू–उपयोग महायोजना के अन्तर्गत रिक्रिएशनल ग्रीन है तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त संदर्भित खसरों को आबादी उपयोग हेतु अनुमन्य करते हुए अर्जन से मुक्त रखा गया है।(प्रति संलग्न)
4. खसरा संख्या–1426 ग्राम कासना, ग्रेटर नोएडा पर आवासीय भवन निर्माण हेतु दिनांक 31.01.2018 को मानचित्र स्वीकृत किये गये है।
5. उल्लेखनीय है कि रिक्रिएशनल ग्रीन में प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त कतिपय निर्माण गतिविधियॉ अनुमन्य है।
6. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के कम में सूच्य है कि उक्त निर्माण ग्रीन बैल्ट पर नही है अपितु उक्त भूमि ग्रेटर नौएडा की महायोजना के अन्तर्गत रिक्रिएशनल ग्रीन के अन्तर्गत है।
7. उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है, तथापि घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की जानी होगी।

उपरोक्त आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर रिट याचिका संख्या–347/2001 रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एबोनी स्टेट बनाम ग्रेटर नौएडा एवं अन्य में पारित आदेशों के कम में प्रस्तुत है।

संलग्नकः. महाप्रबन्धक (नियो0) का पत्रांकः नियोजन/2022/बीएन–653/428, दिनांक 04.03.2022।

9/3/22

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, गौतमबुद्ध नगर

महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

5/3/22

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ग्रेटर नौएडा।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर – नॉलेज पार्क 04, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला – गौतमबुद्ध नगर (उ0 प्र0)

पत्रांकः नियोजन / 2022 / बीएन–653 / 420 दिनॉकः 4 / 03 / 2022

सेवा में,

महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः ग्रे0नौ0 / म0प्र0(अभियन्त्रण) / विविध / 2022 / 484, दिनांक 04.03.2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर याचिका संख्याः 347 / 2021 रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एंबोनी स्टेट बनाम ग्रेटर नौएडा एवं अन्य के संदर्भ में रिक्रेशनल ग्रीन में निर्माण की गतिविधि अनुमन्य के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि ग्राम कासना के खसरा संख्याः 1408, 1417, 1418,1419,1420,1420,1421 व 1426 का भू–उपयोग महायोजना के अन्तर्गत रिक्रेशनल ग्रीन है तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त संदर्भित खसरों को आबादी उपयोग हेतु अनुमन्य करते हुए अर्जन से मुक्त रखा गया है। खसरा संख्या–1426 ग्राम कासना, ग्रेटर नौएडा पर आवासीय भवन निर्माण हेतु दिनांक 31.01.2018 को मानचित स्वीकृत किये गये हैं।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि रिक्रेशनल ग्रीन में प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त कतिपय निर्माण गतिविधियाँ अनुमन्य हैं।

4/3/2022

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक (नियोजन)

प्रतिलिपिः–

- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0 / ए0) महोदय को सादर सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक (नियोजन)